(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन,

सार्वजनिक सूचना संख्या 23/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 1 सितम्बर 2017

विषयः– प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को तरजीही कोटा के चीनी का निर्यात।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 30.12.2016 की सार्वजनिक सूचना सं० 52/2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

"अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2017 (1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 तक) के लिए प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) खांड के निर्यात की अंतिम तिथि को दिनांक 31.10.2017 तक बढ़ा दिया गया है।"

2. दिनांक 30.12.2016 की सार्वजनिक सूचना सं० 52/2015–20 के द्वारा अधिसूचित सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः–**

अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2017 (1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 तक) के लिए प्रशुल्क दर कोटा के तहत यूएसए को खांड के निर्यात की अंतिम तिथि को दिनांक 31.10.2017 तक बढा दिया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/879/एएम–08/निर्यात प्रकोष्ठ/पार्ट से जारी)